प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर **दिनाँक 01.09.2026**

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 239/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 गाड़ी क्रेटा बिना नम्बर प्लेट व गोवध करने के उपकरण बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गौवंशीय पशु का वध कर उसके अवशेष रजवाहा (बम्बा) में फेंक दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 239/26 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 239/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में वांछित 25,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को बाद पुलिस घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। दिनांक 01.09.2026 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा खट्टा प्रहलादपुर की तरफ से आने वाली सड़क पर, डोला की तरफ, चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध क्रेटा कार, जिस पर आगे-पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी थी, आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा कार को रुकवाने का प्रयास किया गया, तो कार सवारों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर कार सवार भागने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर पानी भरे खेत में फंस गई। कार सवार अभियुक्त द्वारा पुनः पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित जवाबी कार्रवाई में 01 अभियुक्त इरफान पुत्र कमरउद्दीन, निवासी म०नं० 1021, रशीद नगर (मंदिर वाली गली), थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे पुलिस द्वारा तत्काल उपचार हेतु सीएचसी पिलाना भिजवाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 गाड़ी क्रेटा बिना नम्बर प्लेट व गोवध करने के उपकरण बरामद हुआ है।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इरफान पुत्र कमरउद्दीन, निवासी म०नं० 1021, रशीद नगर (मंदिर वाली गली), थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ। (घायल अवस्था में)

बरामदगी का विवरण-

- प्रयुक्त 01 अवैध तमंचे .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर,
- 01 गाड़ी क्रेटा बिना नम्बर प्लेट

- गौवध करने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री सूर्यदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3-उ0नि0 उ0नि0 स्नेह प्रकाश थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
5.है0का0 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
6-है0का0 331 सुनील कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
7.है0का0 681 दीपक कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
8-चालक कांस्टेबल सचिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

बागपत पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माइल" के अन्तर्गत माह अगस्त- 2026 में कुल-26 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गयाः-

बागपत पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माइल" के अन्तर्गत माह अगस्त 2026 में कुल-26 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र0सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा
1	बागपत	455/26	87 बीएनएस
2	बागपत	468/26	87 बीएनएस
3	बागपत	536/26	137(2) बीएनएस
4	बिनौली	226/26	140(3) बीएनएस

5	बिनौली	238/26	137(2) बीएनएस
6	बिनौली	253/26	137(2) बीएनएस
7	बिनौली	249/26	87 बीएनएस
8	बिनौली	250/26	87 बीएनएस
9	खेकडा	277/26	140(3) बीएनएस
10	खेकड़ा	294/26	140(3) बीएनएस
11	चांदीनगर	88/26	140(3) बीएनएस
12	चांदीनगर	95/26	140(3) बीएनएस
13	बालैनी	100/26	87 बीएनएस
14	बडौत	188/26	87 बीएनएस
15	बडौत	491/26	87 बीएनएस
16	बडौत	557/26	87 बीएनएस
17	बडौत	583/26	87 बीएनएस
19	दोघट	255/26	87 बीएनएस
19	दोघट	255/26	87 बीएनएस
20	दोघट	256/26	137(2) बीएनएस
21	दोघट	260/26	137(2) बीएनएस
22	रमाला	170/26	87 बीएनएस
23	रमाला	173/26	87 बीएनएस
24	छपरौली	181/26	137(2) बीएनएस
25	छपरौली	183/26	137(2) बीएनएस
26	खेकडा		गुमशुदा 03 वर्ष का बच्चा

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चाँदीनगर **दिनाँक 01.09.2026**

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 106/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चाँदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 106/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- कासिम उर्फ काला पुत्र अफसर निवासी बिलाल मस्जिद के पास मौहल्ला मुन्ना नगर कस्बा रटौल थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष

2- सुहैल पुत्र ताहिर निवासी बिलाल मस्जिद के पास मौहल्ला मुन्ना नगर कस्बा रटौल थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त कासिम उर्फ काला का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 62/26 धारा305(ए)/331(4),317(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत
2- मु0अ0सं0 79/26 धारा 305(ए)/331(4) 317(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत
3-मु0अ0सं0 80/26 धारा 305(ए)/331(4) 317(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत
4- मु0अ0सं0 106/26 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत

गिरफ्तार अभियुक्त सुहैल पुत्र ताहिर का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 62/26 धारा305(ए)/331(4),317(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत
2- मु0अ0सं0 79/26 धारा 305(ए)/331(4) 317(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत

3- मु0अ0सं0 80/26 धारा 305(ए)/331(4) 317(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत
4- मु0अ0सं0 106/26 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2- है0का0 413 पुष्पेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
3-है0का0 378 बलराज सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
4- का0 224 मोहित कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना - चांदीनगर **दिनाँक 01.09.2026**

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 93/26 धारा 303(2),317(2),317(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया सामान बेचकर प्राप्त रूपयों में से 2100 रूपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 31.07.2026 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री अनिरुद्ध पुत्र राजपाल निवासी ग्राम ललियाना थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी व वादी के गांव के किसानो की ट्यूबवैल से केबिल व कटआउट चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 93/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 93/2026 धारा 303(2) बीएनएस में नामित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त सौ0 कैफ को गिरफ्तार

किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया सामान बेचकर प्राप्त रूपयों में से 2100 रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2), 317(5) बीएनएस की बढोतरी की गयी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौ0 कैफ पुत्र असलम उम्र करीब 23 वर्ष निवासी बी-278 गली नं0 02 मढावली दिल्ली कबाडी किराये दुकान खोड़ा कालोनी गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री अमित कुमार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत

2.है0का0 560 ओंकार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत

3.रिका0 157 विष्णु कुमार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना दोघट **दिनाँक-01.09.2026**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 283/2026 धारा 305(A) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर चोरी किये गये 2000 रुपये व एक आधार कार्ड (शमसाद) बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.08.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री शमसाद पुत्र चान्दु निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि वादी के बैंक में पैसे जमा करने हेतु बैंक की लाईन में खडे रहने के दौरान वादी के पीछे खडे अज्ञात अभियुक्त के द्वारा वादी की जैब से नगद 30000/- रूपये चोरी कर लिए है जिसके सम्बन्ध में प्राप्त वादी की तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0स0 283/2026 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0स0 283/2026 धारा 305(A) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसकी निशांदेही पर चोरी किये गये 2000 रुपये व एक आधार कार्ड (शमसाद) बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी एंव अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलाब उर्फ रिजवान पुत्र इलियास निवासी असरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 28/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट बागपत

2-मु0अ0स0 249/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रमाला बागपत

3-मु0अ0स0 509/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत बागपत

4-मु0अ0स0 155/25 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना रमाला बागपत

5-मु0अ0स0 283/26 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना दोघट बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 2000 रुपये नगद
- आधार कार्ड वादी शमशाद का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री प्रान्शू राजपूत थाना दोघट जनपद बागपत

3-है0का0 706 दयाचन्द थाना दोघट जनपद बागपत

4-रि0का0 181 विपिन यादव थाना दोघट जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत　　　　　　दिनांक 01.09.2026

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 593/26 धारा 109(1)/115(2)/3(5) बी.एन.एस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 डन्डे लकड़ी के तथा 01 थपकी लकडी की बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.08.2026 को थाना बडौत पर आवेदक श्री मदनलाल पुत्र जगबीर सिंह निवासी ग्राम लोयन मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी की अभियुक्तों 1.अमित पुत्र करतारा, 2.अमित पुत्र जोगीराम , 3.विकास पुत्र राजेन्द्र, 4. राजपाल पुत्र करतारा निवासीगण ग्राम लोयन मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा वादी तथा उसके परिवारीजन के ऊपर एक राय होकर लाठी-डंडो, लोहे की रॉड, ईंट पत्थर एवं कपड़े धोने वाली थपकी से जान से मारने की नियत से हमला कर मारपीट करना जिससे वादी के भाई सुभाष तथा मोहित के सिर में गंभीर चोटें आना तथा वादी के भाई अशोक की हालत अत्यंत गंभीर हो जाना तथा अन्य परिवारीजनों के भी गंभीर चोटें आना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 593/26 धारा 109(1)/115(2) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

नोटः- दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही मुकदमा उपरोक्त में अब तक की तमामी विवेचना एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बी.एन.एस. की बढोत्तरी की गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 593/26 धारा 109(1)/115(2)/3(5) बी.एन.एस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्ज से घटना में प्रयुक्त 02 डन्डे लकड़ी के तथा 01 थपकी लकडी की बरामद हुई है। जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पताः-

1.अमित पुत्र जगदीश उर्फ जोगीराम निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 42 वर्ष,

2. अमित पुत्र करतारा निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 42 वर्ष

3. विकास पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

❖02 डन्डे लकड़ी (घटना में प्रयुक्त)

❖01 थपकी लकडी (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत, बागपत

2-है0का0 362 अमरजीत सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-रि0का0 266 योगेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।